ायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

/2023 जीसीएमएस : 2023/00195

रूप सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिहं जाति रामदासिया साकिन 8एन पी करडवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

रणजीत सिहं पुत्र श्री मुन्शी सिहं जाति रामदासिया साकिन 8एन पी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

जसवीरकौर पत्नि श्री करनैल सिहं जाति रामदासिया साकिन रूपनगर तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर राज ।

. ममता पुत्री श्री करनैल सिहं जाति रामदासिया साकिन रूपनगर तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

. अमनदीप कौर पुत्री श्री करनैल सिहं पत्नि श्री जसवन्त सिंह जाति रामदासिया साकिन अरायण तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर राज।

5. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व) रायसिहंनगर।

—:प्रतिवादीगण

वद—पत्र अन्तर्गत धारा 53—88—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 05. 06 .2023

ास्थित अधिवक्तागण

1. श्री राजू राम औझा अधिवक्ता वादी।
2. श्री माणक चन्द सुथार अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1

—: निर्णय :— दिनांक :— 29.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रूपसिहं पुत्र श्री मुन्शी सिहं जाति रामदासिया निवासी 8एन पी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर ने जरिये अधिवक्ता वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53—88—209 राज.काश्त.अधि. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 8 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 के खाता नं. 203 के मु.न.96 प.न. 156/331 के कि.न. 22 ता 25 में 1.012 है0 नहरी प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 8 एन पी के खाता नं. 204 , मु.न. 96 प.न. 156/331 के कि.न. 18 ता 21 में 1.012 है0 नहरी भूमि तथा इसी चक के खाता नं. 89 के मु.न. 96 प.न. 156/331 के कि.न.0 13/2 , 14 ता 17 में 1.139है. भूमि में प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता करनेल सिहं के हिस्सा में 1/6 हिस्सा, वादी रूपसिहं के हिस्सा में , 5/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 रणजीतसिहं के हिस्सा में 5/12 हिस्सा नहरी खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण ने घरूबंटवारा कर रखा है । वादी के हिस्सा में चक 8 एन पी के मु.न. 96 प.न.156/331 के कि.न. 20/.221 है.व 21 ता 25 सालम कुल 1.486 है0 नहरी भूमि । प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा में चक 8 एन पी के मु.न. 96 प. न. 156/331 के कि.न.13/.127, 14 सालम , 15/.063, 16 ता 19 सालम —सालम , 20/0.032, कुल 1.487है0नहरी भूमि। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 करनैल सिहं के विधिक प्रतिनिधियों को चक 8 एन पी के मु.न. 96 प.न.156/331 के कि.न. 15/0.190है. नहरी भूमि। जिसके बंटवारा हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को कहा [illegible] चक 8एन पी मैं कहॉ तों इन्कार हो गयें यही दावा विनाय मुखा[illegible] वादी का वाद—पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे कि चक [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 के खाता नं. 203 के मु.न. 96 प.न. 156/331 के [illegible] 22 ता 25 में 1.012 है0 नहरी खाता नं. 204 में 1.012 खाता नं. 89 के 1.139 [illegible] की मद सं. 3 के अनुसार वादी को मु.न. 96 के कि.न. 20/0.221 , 21 ता 25 सालम—सालम कुल 1.486 है. तथा प्रतिवादी सं. 1 को चक 8 [illegible] पी के खाता नं. 89 के मु.न. 96 प.न. 156/331 के कि.न.13/0.127, 14 सालम, 15/0.063, 16 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

19 सालम–सालम , 20/0.032, कुल 1.487 है. भूमि व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को कि न. 15 में 0.190 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व कागजात में अमल–दरामद करने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जावे। भौतिक कब्जा दिलाया जावे।

2. वादी के द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री माणक चन्द सुथार अधिवक्ता हाजिर आये। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 पर सम्मन की तामील होने पर हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इकबाली जबाव दावा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रस्तुत किया गया। वाद–पत्र के अनुसार डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। वादी का वाद–पत्र दिनांक 15.04.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने उक्त आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.06.2024 को मय नक्शा मौका भिजवाया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.06.204 पर मौखिक एतराज किया। वादी रूपसिहं पुत्र मुन्शी सिहं एवं प्रतिवादी सं. 1 श्री रणजीतसिहं पुत्र मुन्शीसिंह ने अलग–अलग शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

–:आदेश :–

उक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद–पत्र की मद सं. 3 के अनुसार वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 अधिवक्ता को कोई एतराज नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद–पत्र की मद सं. 3 के अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी रूप सिहं पुत्र श्री मुन्शी सिहं के हिस्सा में वाके चक 8 एन पी के मु.न. 96 प.न. 156/331 के कि.न. 20/.221 है.व 21 ता 25 साल–सालम कुल 1.486 है0 नहरी भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1 रणजीत सिहं पुत्र श्री मुन्शी सिहं के हिस्सा में वाके चक 8 एन पी के मु.न. 96 प.न. 156/331 के कि.न. 13/0.127, 14 सालम, 15/0.063, 16 ता 19 सालम–सालम, 20/0.032, कुल 1.487 है. नहरी भूमि व प्रतिवादी जसवीरकौर पत्नि श्री करनैल सिहं, ममता पुत्री श्री करनैल सिहं अमनदीप कौर पुत्री श्री करनैल सिहं पत्नि श्री जसवन्तसिहं सं. 2 ता 4 के हिस्सा में वाके चक 8 एन पी के मु.न. 96 प.न. 156/331 के कि.न. 15/0.190 है. नहरी भूमि दी जाती है। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॅार्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner